मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

//विज्ञापन//

क्रमांक : 614 /परीक्षा/2026 जबलपुर, दिनाँक– 14/08/2026

मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर सहायक ग्रेड–III के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष–2026

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि	:–	17.08.2026 दोपहर 12:00 बजे से
ऑनलाइन आवेदन (भुगतान सहित) करने की अंतिम तिथि	:–	15.09.2026 शाम 05:00 बजे तक
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि	:–	19.09.2026 दोपहर 12:00 बजे से
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	:–	21.09.2026 शाम 05:00 बजे तक
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि	:–	बाद में अधिसूचित की जावेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रकिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट *www.mphc.gov.in* को समय–समय पर देखते रहें। समय–समय पर वेबसाइट पर प्रकाशित सूचनाओं का आवेदकों के संज्ञान में होना माना जायेगा। वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।

2. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण, दाण्डिक प्रकरण (लंबित/निराकृत) अथवा शासकीय कर्मचारी होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई सारभूत जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी, जो ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा व कौशल परीक्षा के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गई है, अपूर्ण

दी जाती है अथवा छिपाई जाती है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

3. संपूर्ण चयन/भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हताऐं/अनर्हताऐं, अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियम–2016 व अन्य संबंधित शासकीय नियम, परिपत्र व प्रावधान लागू होंगे।

4. अभ्यर्थी ऑनलाईन फार्म में कोई भी प्रविष्टि अर्हताकारी अंकसूची/प्रमाण–पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। सम्यक व सही रूप से भरे गये आवेदन–पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है, ही मान्य होंगे अन्यथा नहीं।

विज्ञापित पद का संक्षिप्त विवरण

पदनाम	वेतनमान (छठवें वेतनमान के अनुसार)	रिक्तियों की संख्या
सहायक ग्रेड–III	5200 – 20200 + Grade Pay–1900/-	1174

नोट–सातवें वेतनमान के अनुसार सहायक ग्रेड–III का पे–मैट्रिक्स 19500-62000/- लागू होगा।

निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं:–

खण्ड "अ"

(एक) प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों की संख्या :–

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या एवं आरक्षण का प्रतिशत								कुल रिक्तियों में से महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (आरक्षण का प्रतिशत 35%)					कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (आरक्षण का प्रतिशत 10%)					कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (आरक्षण का प्रतिशत 6%)				कुल रिक्तियां (कॉलम क्र 1 से 5 का योग)		
UR		SC	ST	OBC			EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH (1.5%)	HH (1.5%)	LD (1.5%)	MD (1.5%)	87%	13%	100%
27%	13% काल्पनिक	16%	20%	27%	14%	13% प्रावधिक	10%																	
1		2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
314	153	181	236	325	172	153	118	110	63	83	114	41	31	18	24	33	12	18	18	17	17	1021	153	1174

नोट–उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यदि पदों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित जानकारी शुद्धिपत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट (www.mphc.in) पर सूचित की जावेगी।

(दो) पद की शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें :–

1. Graduation in any discipline from a recognized University.

2. C.P.C.T. Score card exam passed from M.P. Agency for promotion of Information Technology (MAP-IT) or any other Agency/Institution recognized by the M.P. Government.

3. One year Diploma course passed in Computer Application from Institution recognized by M.P. Government.

नोट–

क. उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ–साथ परीक्षा अंक पत्र/प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

ख. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C3-07/2015/1/3, भोपाल दिनांक 18.08.2015 के अनुपालन में निम्न में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैः–

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी./National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय '''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट' (COPA) प्रमाण पत्र।

उक्त कम्प्यूटर डिप्लोमा के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्हताऐं भी मान्य होंगीः–

I. बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) /बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/एम.टेक/एम.ई. इत्यादि

II. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।

III. बी.एस.सी./बी.कॉम. डिग्रीयां, जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, मान्य नहीं होंगी।

उपरोक्त परिपत्र के अनुक्रम में, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल के द्वारा जारी पत्र क्रमांक C-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29 मई, 2019 के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार ने अन्य विषयों के साथ आई0टी/कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई करके B.Sc. की परीक्षा पास की है, तब मार्क–शीट के आधार पर IT/CS विषय की पुष्टि/प्रमाणित हो जाती है, तो ऐसी B.Sc. डिग्री को भी B.Sc.(I.T./C.S.) डिग्री के समान माना जाएगा।

(तीन)–आरक्षण संबंधी टीपः–

1. आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र म0प्र0 के मूल निवासियों के लिये लागू होंगे। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

2. मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के OBC, SC, ST एवं EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें उसी के अनुसार आवेदन करना होगा।

3. मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के दिव्यांग उम्मीदवार UR (PH) श्रेणी के तहत आवेदन करेंगे।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन के परिपत्र क्र0 एफ–07–11/2019/आ0प्र0/एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं संशोधित आदेश एफ–07–11/2019/आ0प्र0/एक, भोपाल दिनांक 18 जुलाई 2019 के अनुसार, सीधी भर्ती की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

5. मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 03.10.2023 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को 35% क्षैतिज (Horizontal) और श्रेणी–वार (Compartment Wise) आरक्षण दिया जा रहा है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 21.04.1999 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) और श्रेणी–वार (Compartment Wise) आरक्षण दिया जा रहा है।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन के परिपत्र क्र0 एफ 8-4/2001/आ0प्र0/एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 01.06.2022 के अनुसार, PwD (दिव्यांगजन) के लिए 06% आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें दृष्टि बाधित और कम दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले, उम्मीदवारों के लिए 1.5%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी वाले उम्मीदवारों के लिए 1.5%, और ऑटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता उम्मीदवारों के लिए 1.5% आरक्षण शामिल है।

8. मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, तथापि **रिट याचिका क्रमांक 5901/2019** और अन्य याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें इसे चुनौती दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक एफ-07-46/2021/आ0प्र0/एक भोपाल, दिनांक 29.09.2022 के प्रकाश में न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशों के अनुसार, भर्ती के परिणाम दो भागों में घोषित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पहला, 87% पदों के लिए मुख्य परिणाम, दूसरा, 13% पदों के लिए प्रावधिक (अस्थायी) परिणाम (जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 13% पद और सामान्य श्रेणी के 13% पद शामिल होंगे)। अंतिम चयन सूची, OBC आरक्षण के मामले में विभिन्न याचिकाओं पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम फैसले के अधीन होगी।

ऐसी याचिकाओं के लंबित रहने तक, चयन परिणाम के मुख्य और प्रावधिक भाग उक्त पत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

9. मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियम–2016 के अतंर्गत, म0प्र0 उच्च न्यायालय या म0प्र0 के जिला न्यायालयों में रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर उसी वर्ग/पद या उससे उच्च वर्ग/पद पर कम से कम 5 साल से काम कर रहे (या कर चुके) उम्मीदवारों के लिए 20% पद हॉरिजॉन्टली आरक्षित हैं। यदि संविदा आधार पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं, तो उन पदों को उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।

(चार)–चयन एवं अभ्यर्थिता हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी :–

1. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो।

2. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

3. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 में स्पष्ट किया गया है, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।

स्पष्टीकरण–

(अ) दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा, जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतानें पैदा हुई हों।

(ब) दिनांक–26.01.2001 से 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान को अयोग्यता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस संबंध में कृपया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका 5069/2002 श्री ओझीलाल गौण्ड विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के मामले के निर्णय दिनांक–07.11.2003 का अवलोकन करें।

4. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो।

परंतु अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। उक्त 30 दिवस की अवधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त किये जाने के योग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये अयोग्य कर देगा।

6. कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह :—

(अ) किसी निकाय या संघ को विधि द्वारा अवैध निकाय अथवा अवैध संघ घोषित किये जाने के पश्चात्, उसका सदस्य है या रहा है, अथवा उसने स्वयं को ऐसे किसी निकाय या संघ से सम्बद्ध किया है।

अथवा

(ब) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में भाग लिया है या उससे किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है:—

एक— जो भारत के संविधान को क्षति पहुंचाने, दुर्बल करने अथवा उसके विरूद्ध कार्य करने के उद्देश्य से संचालित हो।

दो— जिसका ध्येय संगठित होकर हिंसा द्वारा विधि की अवज्ञा या भंग करना हो;

तीन— जो भारत की प्रभुता एवं अखण्डता अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो। अथवा

चार—जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के मध्य बैर, शत्रुता अथवा घृणा की भावना को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(स) जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकाय अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा सेवा से पृथक किया गया हो;

अथवा

(द) संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से वंचित (Debarred) अथवा अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया है या पूर्व में घोषित किया जा चुका है।

अथवा

(ई) जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो।

(पांच)— अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :—

(1) परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। परीक्षाओं में प्रवेश दिये जाने अथवा प्रवेश पत्र जारी किये जाने मात्र के आधार पर अभ्यर्थी पद के संबंध में किसी प्रकार की वरीयता/आरक्षण अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अथवा चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

(2) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश को होगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है अथवा उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो संज्ञान में आने पर किसी भी समय उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी, जिसके विपरीत कोई भी अभ्यावेदन/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) आवदेक ध्यान दें ऑनलाईन फार्म को निर्धारित समय पर भरने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की है, निर्धारित तिथि तक फार्म नहीं भर पाने के कारण तिथि को बढाये जाने अथवा तिथि पश्चात् आवेदन स्वीकार किये जाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(5) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा के किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी, जिस पर कोई पत्राचार अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधारने हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिवस का समय प्रदान किया गया है। उक्त अवधि में अनुज्ञेय त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा। उक्त अवधि उपरांत कोई त्रुटि सुधारी नहीं जा सकेगी।

अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि विहित समयावधि उपरांत ऑनलाइन फॉर्म भरने में की गई त्रुटियों का सुधार नहीं होगा तथा किसी भी गलत जानकारी के संज्ञान में आने पर अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा। अतः फार्म अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें।

(7) यदि कोई अभ्यर्थी किसी सार्वजनिक संस्था/ राज्य शासन के किसी विभाग/ केन्द्रीय सेवा के किसी संस्थान/अन्य किसी स्वायत्त संस्था में पूर्व से ही कार्यरत् है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात्, अपने विभाग को अनापत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन करना मान्य नहीं होगा।

शासकीय कर्मचारी के नियुक्त होने की दशा में अपने विभाग का कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र के साथ No Dues Certificate एवं No Enquiry Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) **यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने में पंजीबद्ध/ न्यायालय में लंबित हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो इस संबंध में निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित अपराध क्रमांक, प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म या अन्य किसी फॉर्म में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो संज्ञान में आने पर किसी भी समय उसकी अभ्यर्थिता तत्काल**

बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी और उसे परीक्षा के आगामी चरणों में भाग लेने से निवारित कर दिया जावेगा।

(छ:)–अनर्हताएँ एवं अनुचित साधन :–

निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में, आवेदक अथवा अभ्यर्थी अभियोजन की कार्यवाही तथा/अथवा अपनी अभ्यर्थिता निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा/अथवा उसे अस्थायी अथवा स्थायी रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित (Debarred) किया जा सकेगा, यदि वह–

(1) परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है; या

(2) परीक्षा प्रक्रिया में स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिरूपण (Impersonation) करने देता है अथवा स्वयं किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है; या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी देता है या सारभूत जानकारी छिपाता है; या

(5) परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा परीक्षा कक्ष/परीक्षा हॉल में परीक्षा के किसी भी चरण पर अनुचित अथवा अवैध साधनों का उपयोग करता है अथवा उपयोग करने का प्रयास करता है; या

(6) परीक्षाओं के दौरान वहां कार्यरत किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, धमकी देता है, शारीरिक चोट पहुंचाता है अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है; या

(7) परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी निर्देश, जिसमें निरीक्षक (Invigilator), प्रेक्षक (Observer) अथवा परीक्षा संचालन में संलग्न किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश भी सम्मिलित हैं, का उल्लंघन अथवा अवज्ञा करता है; या

(8) परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी सामग्री का उपयोग करता है अथवा उपयोग करने का प्रयास करता है, या परीक्षा कक्ष/परीक्षा हॉल में किसी निषिद्ध वस्तु को लाता है; या परीक्षा केन्द्र के किसी कम्प्यूटर, उससे संबद्ध तारों, परिधीय उपकरणों, फर्नीचर, भवन अथवा अन्य किसी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है; अथवा परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति से बातचीत करता है, या अन्य अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर–स्क्रीन, मेज अथवा उत्तरपुस्तिका पर झाँकता है।

(9) परीक्षा आयोजित किए जाने वाले परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाईस, वाई–फाई डिवाईस, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस, कैलकुलेटर, घड़ी या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण अथवा अन्य कोई ऐसी सामग्री, जो वीक्षक के दृष्टिकोण से संदिग्ध हो, रखना/पहनना प्रतिबंधित है, और ऐसी किसी भी वस्तु/सामग्री

को परीक्षा केंद्र परिसर के मुख्य द्वार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार उपकरण/कैलकुलेटर को साथ लाने संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करता है।

(10) उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर अथवा अन्य कोई ऐसा आचरण करने पर जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है, संबंधित की अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द किया जा सकेगा और परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध भी शामिल है।

नोट– (क) उपरोक्त सभी अथवा किसी भी प्रकरण में, अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति निरस्त किए जाने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी के विरूद्ध Madhya Pradesh Recognised Examinations Act, 1937 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए अधिकतम 3 वर्ष का कारावास अथवा/और अन्य प्रासंगिक विधि के अधीन दण्ड का प्रावधान है।

(ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु तथा कोई भी मूल्यवान/कीमती वस्तु साथ लेकर न आएँ। किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति के लिए उच्च न्यायालय, सेवा प्रदाता अथवा परीक्षा केन्द्र उत्तरदायी नहीं होगा।

(ग) **चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की सिफारिश (Canvassing) करना अभ्यर्थी की अयोग्यता का आधार होगा। इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति के समर्थन में किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा शासकीय अधिकारी के माध्यम से समर्थन या अनुशंसा प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।**

खण्ड "ब"

(क)–आयु की गणना–

दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1	म0प्र0 व अन्य राज्य के पुरूष आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	40 वर्ष
2	म0प्र0 राज्य के पुरूष आवेदक (ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी)	40 वर्ष
3	म0प्र0 राज्य के पुरूष व महिला आवेदक (ओ0बी0सी0/अ0जा0/अ0ज0जा0 श्रेणी) नोट–उपरोक्त श्रेणी में आने वाले अन्य राज्यों के परीक्षार्थियों को अनारक्षित श्रेणी माना जावेगा।	45 वर्ष
4	म0प्र0 राज्य के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	45 वर्ष

5	म0प्र0 व अन्य राज्य की सभी महिला व सभी दिव्यांग अभ्यर्थी	45 वर्ष

नोट 1. ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :–
भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2(ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

2. म0प्र0 उच्च न्यायालय या म0प्र0 के जिला न्यायालयों के कर्मचारी जो रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद या उससे उच्च वर्ग/पद पर कम से कम 5 साल से काम कर रहे (या कर चुके) हैं, उन्हें संविदा अवधि पर काम करने की अवधि के बराबर आयु में छूट मिलेगी, बशर्ते उनकी आयु अधिकतम 55 साल से अधिक न हो।
3. चूंकि भर्ती वर्ष 2026 में हो रही है, अतः नियमानुसार आयु की गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी।

(ख)–आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	परीक्षा शुल्क	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क	योग
	(अ)	(ब)	(अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु	**₹ 200/–**	**₹ 743.40/–**	**₹ 943.40/–**
1. ओ0बी0सी0, अनु0जाति, अनु0ज0 जाति, ई0डब्ल्यू0एस0 (केवल म.प्र. के मूल निवासी) 2. **सभी दिव्यांग**	**₹ 0/–**	**₹ 743.40/–**	**₹ 743.40/–**

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ती(यों)/अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन तभी पूर्ण माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का भुगतान नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक हो चुका हो।

(3) यह अभियर्थी का दायित्व होगा कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्क जमा करने से संबंधित सभी विवरण सही–सही भरे। एक बार शुल्क संबंधित विवरण भर दिए जाने के पश्चात् ऐसे विवरणों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। **अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि पर अंतिम समय से पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना व पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें ताकि बैंकिंग सर्वर डाऊन होने की समस्या से बचा जा सके।** सर्वर डाऊन व बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की असफलता या अन्य किसी भी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन अथवा परीक्षा शुल्क या उसका कोई भाग निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाता है तो इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

<u>(ग)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी</u> :–

1. आवेदन पत्र उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जाकर "Recruitment/Result" के बटन पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् "Click on-Online Application Forms/Admit Cards" पर क्लिक करना होगा, जिसमें इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार हैं :–

    I. Advertisement
    II. Registration
    III. Application
    IV. Edit Application

    Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किये गये मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. पर User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फॉर्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फॉर्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उसके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है। बाद में त्रुटि–सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्

अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र का प्रिंट आउट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। **उक्त प्रिंट आउट परीक्षा की आगामी प्रक्रियाओं हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

3. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरते समय हुई त्रुटि सुधार के लिये Edit Application के रूप में पृथक से समयावधि दी गई है किंतु यह अवधि मात्र आवेदन फॉर्म भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनके संबंध में सुधार के लिए लागू होगी। Registration form भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनमें सुधार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

4. कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, तो सेवा प्रदाता के Help Desk दूरभाष नम्बर (**919513632554**) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

5. आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि अथवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व से अधिसूचित किसी भी तिथि अथवा तिथि के विस्तार अथवा परीक्षा शुल्क में परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोटः– **यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करता है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन–पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

खण्ड–''स''

(क)– परीक्षा की योजना :– परीक्षा दो चरणों में होगी :–

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा (100 अंक) एवं
2. हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा (50 अंक)।

(ख)– प्रवेश पत्र :–

ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा एवं हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा के प्रवेश–पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध कराये जावेंगे जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी। प्रवेश–पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति–आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी। परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रावधिक होगी। मात्र प्रवेश–पत्र जारी हो जाने से अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के पक्ष में किसी प्रकार का अधिकार सृजित नहीं होगा।

(ग) ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा केन्द्रः–

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन आदि (सभी या आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक) में एक पाली (Shift) अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालियों (Shifts) में आयोजित हो सकेगी, परंतु विशेष परीक्षा एक से अधिक पाली में होने की दशा में प्रश्न–पत्र अलग–अलग होंगे। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का, परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्त में से किसी भी संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत् अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
2. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक / समय / परीक्षा केन्द्र / परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ) ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय (M.C.Q. Type) प्रश्न पूँछे जायेंगे। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंकों की होगी जिसका प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 120 मिनिट होगी।

Syllabus	No. of Questions	Marks	Medium
(1) G.K.+G.S., including G.K. of M.P.	20	20	Hindi & English
(2) Maths + Logical Reasoning	20	20	Hindi & English
(3) General Hindi	20	20	Hindi
(4) English knowledge	20	20	English
(5) Computer knowledge	20	20	English
Total Question and Marks	100		

नोट :–

1. उपरोक्त परीक्षा 02 घंटे की होगी।
2. परीक्षा की तिथि(यों), समय व परीक्षा केन्द्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
3. दिव्यांग आवेदकों के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालीयन ज्ञापन क्रमांक एफ नं. 29–06 / 2019–डीडी–III दिनांक–10.08.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

सिविल अपील क्र0–273/2021 (विकाश कुमार वि0 यू0पी0एस0सी0 एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 का पालन यथासंभव किया जावेगा।

(ङ)–परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारियां :–

(1) अभ्यर्थी को उसे आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा नियत किये गये समय के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(2) निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन किसी अन्य सत्र में या किसी अन्य दिन होती है, तो भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(3) अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फॉर्म में दिये गये फोटो से होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।

(4) परीक्षार्थी, परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकॉर्डिंग की जावेगी।

(5) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखने अथवा अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण रखने/पहनने अथवा अन्य कोई ऐसी सामग्री, जो वीक्षक के दृष्टिकोण से संदिग्ध हो, रखने/धारित करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द किया जा सकेगा।

(6) परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में दर्शित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(7) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकेगा।

(च)–:ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :–

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में दिये गये प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर, जिनके आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाना आशयित है, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत इस सूचना के साथ प्रदर्शित किये जावेंगे कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों या किसी उत्तर के संबंध में आपत्ति करना चाहता है, तो वह उक्त सूचना प्रकाशन से सात (07) दिनों के भीतर कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा),

प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नाम, आवेदन क्रमांक व वांछित जानकारी भरकर एवं स्त्रोत दस्तावेज इत्यादि (जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है) की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित छायाप्रति सहित आवश्यक रूप से जमा करेगा। केवल ऑफलाइन आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। ई–मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किये जायेंगे, जिनके आधार पर मूल्यांकन कर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप में प्राप्त न होने वाली अथवा स्त्रोत दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाली आपत्तियों को भी नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तरों पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित आदर्श उत्तरों को ही अंतिम मानते हुए मूल्यांकन किया जावेगा।

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् अंतिम मॉडल उत्तर अथवा प्रश्नों के संबंध में किसी भी आधार पर, कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:5 (प्रति पद के लिये लगभग 5 अभ्यर्थी, जिसमें कट–ऑफ अंक के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, भले ही उनकी संख्या 1:5 के अनुपात से अधिक हो जाये) के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा के लिये सफल घोषित किया जावेगा। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग मात्र होने से इसके प्राप्तांक को अंतिम परिणाम के समय विचार में नहीं लिया जावेगा तथा ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

खण्ड–''द''

हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा

(क)–: आवेदन पत्र एवं दस्तावेजः–

1. हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा हेतु सफल हुए अभ्यर्थियों से निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जावेंगे, उन्हें अपात्र कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी। पात्र व अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ, अपनी केटेगरी सहित **लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन–पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।** यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र परीक्षा अनुभाग द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक आवश्यक रूप से "प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर" के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन–पत्र व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।** उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति–आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं परंतु वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज (समस्त अथवा कोई भी एक दस्तावेज) संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

(ख)–हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा हेतु पोर्टल चार्जः–

ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा हेतु सफल पाये जावेंगे, उन्हें कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये ₹ 743.40/- (पोर्टल शुल्क) सेवा प्रदाता को ऑनलाईन देय करना अनिवार्य होगा, जिसके लिये एक वेब लिंक उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु अनिच्छुक माना जावेगा एवं संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(ग)– हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा का तिथि, केन्द्र व पालियां :–

हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। कौशल परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जावेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत् अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किन्हीं कारणों से कौशल परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है

तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ)–कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा 50 अंको की होगी। कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः–

Subject	Marks	Time
Hindi Typing (350 words approx.)	50	10 मिनिट

नोट :–

(1) कौशल परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की–बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना कम्प्यूटर या की–बोर्ड/कुर्सी लाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिन्दी टाईपिंग का मैटर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर उसी मैटर को टाईप करना होगा।

(3) समस्त परीक्षार्थियों को हिन्दी टाईपिंग रेमिंगटन गेल (REMINGTON GAIL) मे ही करना होगा।

(4) कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के पहले अभ्यर्थियों को अपने की–बोर्ड की जांच करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि की–बोर्ड में कोई खराबी पाई जाती है, तो संबंधित केन्द्र के निरीक्षकों द्वारा बदलवा लें। कौशल परीक्षा के दौरान/पश्चात् की–बोर्ड में खराबी के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) टाईपिग के दौरान Delete Key, Arrow Keys व Mouse बंद रहेगा, सुधार कार्य के लिये परीक्षार्थियों को केवल Backspace key का उपयोग करना होगा।

(6) सहायक ग्रेड–III की कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 350 शब्दों का हिन्दी टाईपिंग मैटर कम्प्यूटर स्क्रीन में देखकर टाईप करना होगा।

(7) कौशल परीक्षा में केवल 350 शब्दों को टाईप करने का ही Space/स्थान उपलब्ध होगा, किसी शब्द अथवा वाक्य को दो या अधिक बार टाईप करने पर गलती माना जावेगा तथा आगे की टाईपिंग के लिये अतिरिक्त Space/स्थान उपलब्ध नहीं होगा।

(8) **अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि हिन्दी टाईपिंग की कौशल परीक्षा के दौरान शोर मचाने वाले अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद/विवाद करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जावेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी। साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उन्हें सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।**

(9) कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रावधिक होगी तथा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित शर्तों अथवा अपेक्षित योग्यता को पूरा नहीं करता है अथवा उसके प्रमाण–पत्र/पत्रों को फर्जी या कूटरचित पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(ङ)– हिन्दी टाईपिंग का मूल्यांकन

1. हिन्दी टाईपिंग का मूल्यांकन सी0पी0सी0टी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा एवं टाईपिंग की गति (NWPM) एवं शुद्धता (Accuracy) के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 अंक काटे जावेंगे। साथ ही प्रत्येक बैक–स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जावेंगे।

2. हिन्दी टाईपिंग रेमिंगटन गेल (Remington Gail) मे ही आयोजित होगी। टाईपिंग परीक्षा अनरिस्ट्रिक्टेड मोड (Unrestricted Mode) में संपन्न की जावेगी।

(च):–अंतिम परिणाम :–

कौशल परीक्षा का अंतिम परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों व श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। कौशल परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 49.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी। अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने की दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6–07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक–14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

टीप:–1. सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता संबंधित दस्तावेज व पृष्ठभूमि की जांच करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है। जांच में असंतुष्ट पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

2. चयन सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

3. कौशल परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये **न्यूनतम अंक** के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और नस्तीबद्ध कर दिये जायेंगे।

4. कौशल परीक्षा में अंकों की पुनः जांच या टाईपिंग के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा उन्हें बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(सात): त्याग–पत्र एवं बंधपत्र (Bond) का निष्पादन –

उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में दो लाख रुपये की राशि का 'बंधपत्र' (Bond) निष्पादित करना होगा तथा यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वह न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक सेवा करेगा। यदि वह उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवा से त्याग–पत्र देता है अथवा किसी अन्य प्रकार से सेवा छोड़ता है, या 'बंधपत्र' की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो 'बंधपत्र' जब्त किए जाने योग्य होगा तथा उसे दो लाख रुपये की बंधपत्र राशि का भुगतान करना होगा।

परन्तु, यदि अभ्यर्थी/कर्मचारी पूर्व अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्र शासन में सेवा स्वीकार करने के लिए त्याग–पत्र देता है, तो उसे 'बंधपत्र' की राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

(आठ): पदस्थापना/जिला आवंटनः–

चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन काउँसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट एवं जिले में रिक्त पदों की श्रेणीवार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। काउँसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा अपने पसंदीदा जिले के लिए किसी भी प्रकार का अनावश्यक संवाद अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश होंगे। काउंसलिंग के पश्चात् जिला परिवर्तन अथवा पारस्परिक सहमति से जिला परिवर्तन के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यावेदन को बिना विचार किए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

नोट– चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अर्हता उसके दस्तावेजों व पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन होगी।

(नौ): अभ्यर्थियों के अंक –

अंतिम परिणाम के प्रकाशित होने के पश्चात् ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की Response Sheet तथा प्राप्तांक स्कोर–कार्ड के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जावेंगे। अंक एवं स्कोर–कार्ड देखने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक User I.D. के रूप में तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।

(दस): सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:

अभ्यर्थी को उसकी परीक्षा(ओं) की उत्तरपुस्तिका/Candidate Response की जानकारी, सूचना के अधिकार के तहत नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर, अंतिम चयन सूची जारी होने के पश्चात् से 03 माह तक प्रदान की जावेगी। तत्पश्चात् ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं कौशल परीक्षा की Response Sheet से संबंधित डाटा को नष्ट कर दिया जाएगा।

(ग्यारह): विनष्टीकरण:–

परीक्षा में प्रयुक्त सभी आवेदन–पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदनों को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा।

(बारह): यात्रा व्यय का भुगतान–

ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा एवं कौशल परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(तेरह): शुद्धिपत्र:–

आवश्यकता होने पर शुद्धिपत्र उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट पर प्रकाशित किए जायेंगे, जो कि इस विज्ञापन का ही भाग माने जायेंगे। ''शुद्धिपत्र'' को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। ''शुद्धिपत्र'' की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

दिनांक – 14/08/2026

जबलपुर

रजिस्ट्रार जनरल

* * * *